छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–13/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/10/2020

प्रति,

डी.आई.जी. (एफ.सी.),
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,जोर बाग अलीगंज रोड़
नई दिल्ली –110003।

विषय :– Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Relocation of villages from Core Area of Achanakmar Tiger Reserve to Mungeli Forest Division, Area 255.300 ha –regarding.

संदर्भ:– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–818/1549, दिनांक 20.08.2020।

---00---

विषयांतर्गत विभागीय पत्र क्र. एफ 5–05/2013/10–2, दिनांक 30.09.2013 के माध्यम से अचानकमार टायगर रिजर्व के बाहर 5 ग्रामों (सारसडोल, राजक, तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा) के विस्थापन का 839.500 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा पत्र क्र. 8-93/2013-FC, दिनांक 18.03.2015 तथा 17.04.2015 के माध्यम से कक्ष क्र. पी. 1254 तथा पी. 1255 में विस्थापन को अच्छा साल वन होने के फलस्वरुप विस्थापन उपयोग हेतु अस्वीकृत कर दिया गया। शेष 3 ग्राम तिलईडबरा, सारसडोल एवं राजक के विस्थापन स्थल के व्यपवर्तन की स्वीकृति दी गई । अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र में लेख किया गया है कि, कालांतर में सारसडोल एवं राजक के ग्रामीणों द्वारा व्यवस्थापन का विरोध करने पर पूर्व के 5 ग्रामों के विस्थापन संबंधी वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत 839.500 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव को स्थगित कर नवीन प्रस्ताव जिसमें 3 ग्रामों तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा को मुगेली वनमंडल के लोरमी परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्र. 96, 557, तथा 558 के 255.300 हे. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है :–

1.मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के पत्र क्रमांक/तक/1609, दिनांक 14.07.2020 के माध्यम से अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी और छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु 255.300 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार अनुशंसा उपरांत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) कार्यालय को प्रेषित की गई है।

2.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा पत्र क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध–56/2020/2764, दिनांक 28.07.2020 के माध्यम से द्वारा व्यवस्थापन से वन्यप्राणियों की संवर्धन एवं विकास होने के कारण व्यवस्थापन प्रकरण में अनुशंसा की गई है।

2/– व्यवस्थापन के विषयांकित (रकबा 255.300 हे. आरक्षित वन भूमि का) प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप

1 — आवेदक विभाग का मांग पत्र – (संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या: 1 से 21)

आवेदनकर्ता उपसंचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी जिला मुंगेली द्वारा मुंगेली वन मंडल के कोर क्षेत्र में स्थित 03 ग्राम क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों के व्यवस्थापन हेतु मुंगेली वनमंडल अंतर्गत आरक्षित वन भूमि रकबा 255.300 हे. की मांग की गयी है। आवेदित वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

क्र	व्यवस्थापन हेतु चयनित वन ग्राम	जिला	वनमंडल	परिक्षेत्र	परिसर	कक्ष क्र.	कुल रकबा (हे.)	व्यवस्थापन हेतु आवश्यक क्षेत्र (हे.)
1	तिलईडबरा	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	सांवतपुर	96 RF	234.718	126.500
2	बिरारपानी	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	भरतपुर	558 RF	150.139	119.389
3	छिरहट्टा	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	भरतपुर	557 RF	145.262	9.411
							योग	255.300

2 — प्रपत्र– I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) – (संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या: 22)

प्रकरण में परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक –FP/CG/REHAB/42779/2019 दिनांक 27.01.2020 को आबंटित किया गया है। पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क के तौर पर वन मंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल के पी.डी खाते में पंजीयन शुल्क 6000 रू. तथा प्रसंस्करण शुल्क रू. 87000 कुल 93000 रू. आवेदक द्वारा जमा कराया गया है। संबंधित चालान प्रस्ताव पृष्ठ 11 पर है।

3 — वनक्षेत्र का विवरण – (संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या: 23)

मुंगेली जिले के अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 03 ग्राम क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों के व्यवस्थापन हेतु रकबा 255.300 हे. आरक्षित वन भूमि प्रस्तावित है। व्यवस्थापन हेतु वांछित वन भूमि का ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र	व्यवस्थापन हेतु चयनित वन ग्राम	जिला	वनमंडल	परिक्षेत्र	परिसर	कक्ष क्र.	कुल रकबा (हे.)	व्यवस्थापन हेतु आवश्यक क्षेत्र (हे.)
1	तिलईडबरा	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	सांवतपुर	96 RF	234.718	126.500
2	बिरारपानी	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	भरतपुर	558 RF	150.139	119.389
3	छिरहट्टा	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	भरतपुर	557 RF	145.262	9.411
							योग	255.300 हे. आरक्षित वन भूमि

4 — गैर वनक्षेत्र का विवरण – (संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या: 24)

प्रस्ताव में लागू नहीं होता।

5 — प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर– (संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या: 26 से 27)

ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का टोपोशीट क्रमांक 64 एफ/10, 64 एफ/11, 64 एफ/14 एवं 64 एफ/15 स्केल 1:50000 मानचित्रों पर चिन्हित प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। मानचित्र में वनमंडलाधिकारी, मुंगेली वनमंडल एवं उपसंचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया गया है। मानचित्र में तीनों ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा की लोकेशन तथा ग्रामों के विरूद्ध व्यवस्थापन हेतु चयनित वन क्षेत्र स्पष्ट रूप से दर्शित किये गये है।

क्रमश : 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
6	वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैंप – व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र को स्केल 1:15000 मानचित्र पर चिन्हित कर संलग्न किया गया है जो वनमंडलाधिकारी मुंगेली एवं उपसंचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित है।	29
7	प्रपत्र –4 में प्रस्ताव – मुंगेली जिले के अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 03 ग्रामों क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों के व्यवस्थापन हेतु मुंगेली वनमंडल अंतर्गत वन भूमि रकबा 255.300 हे. प्रस्तावित है। प्रपत्र 4 में प्रस्ताव संलग्न है। प्रस्ताव अनुसार आवेदित वन क्षेत्र मूल ग्रामों के समीप लिये गये है चूँकि ग्रामीणों में बैगा जनजाति के लोग बड़ी संख्या में है जो अपने मूल क्षेत्र से बहुत दूर नहीं रह सकते। बिन्दु क्रमांक 3 पर 255.300 हे. भूमि के उपयोग का आयटम वाईज विवरण दिया गया है। उक्त ग्रामों के व्यवस्थापन में 133 परिवार (आप्सन–1 में 22 परिवार एवं आप्सन–2 में 111 परिवार) प्रभावित हो रहे हैं। इनमें 128 परिवार अनुसूचित जनजाति के एवं 5 अन्य जाति के परिवार है। वनमंडलाधिकारी मुंगेली ने यह प्रमाण पत्र दिया है कि अन्य दूसरे विकल्पों की परीक्षण करने के बाद आवेदित वन क्षेत्र का रकबा इस कार्य के लिये न्यूनतम है।	30 से 36
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप – संलग्न है। अचानकमार टायगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 914.017 वर्ग कि.मी है जिसमें 626.195 वर्ग कि.मी कोर क्षेत्र है तथा 287.822 वर्ग कि.मी बफर क्षेत्र है। टायगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में वर्तमान में 19 ग्राम स्थित है जिनका व्यवस्थापन चार चरणों में किया जाना टायगर कन्सरवेशन प्लान में शामिल है। इन ग्रामों में ग्रामीण अल्पसुविधायुक्त कठिन जीवन व्यतीत कर रहे है। बरसात के मौसम में आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामाना करना पड़ता है। सूचनातंत्र, शिक्षा, हास्पिटल, दैनिक जरूरतो के सामान की उपलब्धता आदि का अभाव है। विस्थापन से एक ओर ग्रामीण समाज की मुख्य धारा में जुड़कर विकास के भागी होंगे वही दूसरी ओर इन ग्रामों के व्यवस्थापन से वन्य प्राणियों के रहवास/चारागाह हेतु वन क्षेत्र रिक्त होगा। प्रथम चरण में 6 ग्रामों को व्यवस्थापित किया गया है। वन्य प्राणी गणना वर्ष 2014 में डबल्यू आई आई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अचानकमार टायगर रिजर्व में 10–12 बाघ का आंकलन किया गया है। एन.टी.सी.ए के फरवरी 2008 में जारी किये गये विस्थापन संबंधी दिशा निर्देश अनुसार ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा का व्यवस्थापन प्रस्ताव तैयार किया गया है। ग्रामवासियों के व्यवस्थापन हेतु प्रस्ताव अनुसार परियोजना की कुल लागत 13.30 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। ग्रामवार ग्रामीणों की सूची विवरण सहित संलग्न की गई है तथा व्यवस्थापन स्थल पर कराये जाने वाले कार्यो की सूची भी संलग्न की गई है।	37 से 55

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र – यह प्रकरण अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 3 ग्रामों का विस्थापन का है। उपसंचालक अचानकमार टायगर रिजर्व द्वारा वचन पत्र में उल्लेख किया गया है कि चूंकि प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के एवज में उतने ही समान क्षेत्रफल की भूमि टाईगर रिजर्व के अंतर्गत छोड़ी जायेगी, इसलिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रावधान लागू नहीं होगें।	56
10	न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र – अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 03 ग्रामों क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों के व्यवस्थापन हेतु कुल 255.300 हे. व्यपवर्तन हेतु वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है। इस आशय का प्रमाण पत्र वनमंडलाधिकारी मुंगेली एवं उपसंचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित है।	57
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र – प्रस्ताव में लागू नहीं होता है।	58
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र–अ एवं ब में) – 3 ग्रामों के विस्थापन हेतु प्रस्तवित रकबा 255.300 हे. क्षेत्र में 9,862 वृक्ष विद्यमान है जिनका विदोहन किया जाना प्रस्तावित है। गोलाईवार, प्रजातिवार वृक्षों की संख्या तथा आयतन निर्धारित फार्म 1 (a) एवं (b) में संलग्न की गई है।	59 से 62
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस – प्रस्ताव में लागू नहीं होता है।	63
14	चयनित गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – निरंक।	64
15	गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा – लागू नहीं।	65
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना – लागू नहीं।	66
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र – लागू नहीं।	67
18	अधिनियम उल्लंघन अंर्तगत कार्यो का विवरण – मुंगेली वनमंडल के लोरमी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 557, 558 एवं सावंतपुर कक्ष कमांक 96 में ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु रकबा प्रस्तावित है। वनमंडलाधिकारी, मुंगेली के प्रमाण पत्र अनुसार अधिनियम उल्लंघन संबंधी कोई कार्य नहीं किया गया है।	68
19	अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण – लागू नहीं।	69
20	अधिकारियों एंव कर्मचारियों के विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही – लागू नहीं।	70

क्रमशः : 5

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र – कलेक्टर जिला मुंगेली के प्रमाण पत्र अनुसार अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम तिलाईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु तहसील लोरमी, जिला मुंगेली अंतर्गत राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है।	71 से 73
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान – लागू नहीं।	74
23	रिक्लेमेशन प्लान – लागू नहीं।	75
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – लागू नहीं।	76
25	व्यवस्थापन प्लान – अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम तिलाईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु मुंगेली वनमंडल के लोरमी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 557, 558 एवं सावंतपुर कक्ष कमांक 96 के रकबा 255.300 हे. प्रस्तावित है। उक्त ग्रामों के व्यवस्थापन में 133 परिवार (आप्सन–1 में 22 परिवार एवं आप्सन–2 में 111 परिवार) प्रभावित हो रहे हैं। इनमें 128 परिवार अनुसूचित जनजाति के एवं 5 अन्य जाति के परिवार है।	77
26	वनाधिकारीयों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम तिलाईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा को मुंगेली वनमंडल के लोरमी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 557, 558 एवं 96 के रकबा 255.300 हे. क्षेत्र में व्यवस्थापन हेतु आवेदक विभाग उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत मांग का प्रपत्र I संलग्न किया गया है। वनमंडलाधिकारी, मुंगेली वनमंडल ने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 06.06.2020 के आधार पर प्रतिवेदन भाग II में अपनी टीप दी है जिसके अनुसार ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु आवेदित वन भूमि आरक्षित वन का भाग है एवं वन का घनत्व 0.4 है। भौतिक निरीक्षण के आधार पर वनमंडलाधिकारी मुंगेली ने आवेदित क्षेत्र को ग्रामों के व्यवस्थापन कार्य के लिए देने की अनुशंसा की है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर द्वारा अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्रामों के व्यवस्थापन किये जाने के उपरांत कोर क्षेत्र से मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त होना, घास के मैदान में विस्तार होना, शाकाहारी एवं मांसाहारी वन्यजीवों के संख्या में वृद्धि होने के अनुमान के आधार पर प्रस्ताव पर अनुशंसा दी गई है। वहीं मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं क्षेत्र संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, बिलासपुर द्वारा दिनांक 14.07.2020 को स्थल निरीक्षण किया गया है तथा उन्होंने भी व्यवस्थापन प्रस्ताव पर अनुशंसा दी है।	78 से 90
27	ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र – व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी मुंगेली एवं उपसंचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित है।	91

क्रमशः : 6

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – ग्राम पंचायत भरतपुर की बैठक दिनांक 22.08.2018 एवं ग्राम सभा सावंतपुर की बैठक दिनांक 29.08.2018 को आमसभा में पारित प्रस्ताव पंजी की छाया प्रति संलग्न किया गया है। अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति लोरमी की बैठक दिनांक 24.09.2018 को की गई जिसमें पाया गया कि प्रस्ताविंत वन भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे हेतु वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।	92 से 105
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) – मुंगेली जिले की मुंगेली वनमंडल में सम्मिलित आरक्षित, संरक्षित वन का विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। विवरण अनुसार वन मंडल में 1073.49 वर्ग कि.मी. वन भूमि है।	106 से 107
30	व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में. – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ राज्य में मुंगेली जिले की मुंगेली वनमंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों की संख्या 01 (सिंचाई विभाग के भरत सागर टेंक) है जिसमें स्वीकृत वन भूमि रकबा 25.00 हे. है।	108
31	व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.मे – निरंक है।	110
32	प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – पुर्नव्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलाईडबरा हेतु चयनित वन कक्ष आर. एफ 96 से अचानकमार टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा 200 मीटर तथा कोर क्षेत्र की दूरी 10 कि. मी., बिरारपानी एवं छिरहट्टा वन कक्ष आर. एफ 558 से अचानकमार टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा 2 कि. मी. तथा कोर क्षेत्र की दूरी 12 कि. मी., एवं वन कक्ष आर. एफ 557 से अचानकमार टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा 2 कि.मी. तथा कोर क्षेत्र की दूरी 12 कि. मी., की दूरी पर स्थित है। संपूर्ण 255.300 हे. वन क्षेत्र अचानकमार टायगर रिजर्व की परिधि से बाहर है, परंतु 10 कि.मी के अंदर है।	111
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेत प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – लागू नहीं ।	112

क्रमशः : 7

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. F.No.-11-9/1998-FC, दिनांक 03–08–2009 एवं दिनांक 05–02–2013 के अनुक्रम में प्रस्तावित व्यवस्थापन कार्य हेतु कलेक्टर मुंगेली का प्रमाण पत्र कक्ष कमांक 557 एवं 558 के लिये अलग तथा कक्ष क्रमांक 96 के लिये अलग जारी किया गया है जो उपसंचालक अचानकमार टायगर रिजर्व को कलेक्टर जिला मुंगेली के पत्र कमांक 3583/भू.अ/अ.भू.अ/2018 दिनांक 05.10.2018 द्वारा प्रेषित है। बिन्दु कमांक 28 पर अवगत कराया जा चुका है कि "ग्राम पंचायत भरतपुर की बैठक दिनांक 22.08.2018 एवं ग्राम सभा सावंतपुर की बैठक दिनांक 29.08.2018 को आमसभा में पारित प्रस्ताव पंजी की छाया प्रति संलग्न किया गया है। अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति लोरमी की बैठक दिनांक 24.09.2018 को की गई जिसमें पाया गया कि प्रस्तावित वन भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे हेतु वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।"	113 से 116
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – राजस्व वन भूमि की मांग नही की गई है अतः लागू नहीं है।	117
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक एफ/8–34/2017, एफ.सी दिनांक 20.05.2019 के बिन्दु (h) अनुसार एन.पी.व्ही तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से इस प्रकार के प्रकरण में छूट है।	118
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance – प्रस्ताव में लागू नहीं होता है।	119
38	"A detailed note on Soil Productivity or the lack of it" – प्रस्ताव में लागू नहीं होता है।	120
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – आवेदित वन भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है एवं वन विभाग के नियमानुसार स्वीकृति मिलने के पूर्व कोई भी कार्य नही किया जावेगा। इस आशय का आवेदक विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	121
40	Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – प्रस्ताव में लागू नहीं होता है।	122
41	पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण – बिन्दु 2 अनुसार।	9 से 11

क्रमशः 8

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – अचानकमार टाईगर रिजर्व के 3 ग्राम क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा को अचानकमार टाईगर रिजर्व से बाहर व्यवस्थापन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक व.प्रा./प्रबंध–56/2020/2764,दिनांक 28.07.2020 द्वारा अनुशंसा की गई है जो प्रस्ताव में पृथक् से संलग्न किया गया है। इसके अलावा पृष्ठ 123 से 126 पर वनमंडलाधिकारी मुंगेली द्वारा हस्ताक्षरित 4 पृष्ठीय टीप भी दी गई है।	123 से 126
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्ताव में लागू नहीं होता है।	निरंक
44	प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण – टाईगर रिजर्व के प्रतिवेदित 3 ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित वन भूमि व्यपवर्तन परियोजना प्रतिवेदन, प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिर्पोट मय सी.डी., अचानकमार टाईगर रिजर्व अधिसूचित होने की अधिसूचना तथा व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित परिवारों की सहमति पत्र प्रस्ताव में अतिरिक्त जानकारी के रूप में संलग्न किया गया है। इस प्रस्ताव के बारे में यह अवगत कराया जाना उचित होगा कि अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा, सारसडोल एवं राजक के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव रकबा 839.50 हे. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्राम बिरारपानी एवं छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु चयनित स्थल पी.एफ 1255 एवं 1254 घना होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था तथा ग्राम तिलईडबरा, सारसडोल एवं राजक के व्यवस्थापन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक एफ नं. 8–93/2013–एफ.सी दिनांक 18.03.2015 तथा पत्र कमांक एफ नं. 8–93/2013–एफ.सी. माह अप्रैल 2015 महत्वपूर्ण है। उक्त स्वीकृति उपरांत ग्राम सारसडोल एवं राजक के ग्रामीणों द्वारा व्यवस्थापन प्रस्ताव में सहमति नहीं होने के कारण तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा का नवीन व्यवस्थापन प्रस्ताव रकबा 255.30 हे. तैयार किया गया है जिस पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 30.11.2017 द्वारा तीनों ग्रामों के 133 परिवारों का व्यवस्थापन हेतु राशि रूपये 1330 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।	127 से 308

3/– प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

क्रमश : 9

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :– प्रस्ताव 1 प्रति में।

3/10/20

(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–13/2020/10–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2020

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),भारत सरकार,पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग, व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर प्रस्ताव की 1 प्रति संलग्न कर सूचनार्थ अग्रेषित।

2.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ,

3.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,

4.मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।

5.मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

6.वनमंडलाधिकारी, मुंगेली वनमंडल, मुंगेली, छत्तीसगढ़ ।

7.आवेदनकर्ता, उप संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व, लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के पत्र क्र. 2764, दिनांक 28.07.2020 में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता उपसंचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी को मुंगेली जिले के मुंगेली वनमंडल के कोर क्षेत्र में स्थित 03 ग्राम क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों के व्यवस्थापन हेतु रकबा 255.300 हे. आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 06 -10-2020

Place : Raipur

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Department of Forest
Mantralaya, Chhattisgarh

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest Department

पंजी क्रमांक 376 / TL /201/10-2/वन दिनांक 27/08/2020

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)
दूरभाष: 0771 - 2512840 ई - मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू-प्रबंध/~~विविध~~/115-818/ 1549 रायपुर, दिनांक 20/ 08/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर

विषयः- **Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 19810 Proposed for Relocation of villages from Core Area of ATR to Mungeli Forest Division, Area 255.300 ha -regarding.**

- पंजीयन क्रमांक- **FP/CG/REHAB/ 42779/2019**

संदर्भः- 1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 1609 दिनांक 14.07.2020

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-56/2020 / 2764 दिनांक 28.07.2020

संदर्भित पत्र -1 के माध्यम से अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी और छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु 255.300 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार अनुशंसा उपरांत इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

संदर्भ पत्र-2 द्वारा व्यवस्थापन से वन्यप्राणीयों की संवर्धन एवं विकास होने के कारण व्यवस्थापन प्रकरण में अनुशंसा की गई है।

व्यवस्थापन के विषयांकित (रकबा 255.300 हे. आरक्षित वन भूमि का) प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत शाखा द्वारा किया गया, जिसके संबंध में संक्षिप्त टीप निम्नानुसार हैः-

बिन्दु क्रमांक -1 आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 21 तक) - आवेदनकर्ता उपसंचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी जिला मुंगेली द्वारा मुंगेली वन मंडल के कोर क्षेत्र में स्थित 03 ग्राम क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों के व्यवस्थापन हेतु मुंगेली वन मंडल अंतर्गत आरक्षित वन भूमि रकबा 255.300 हे. की मांग की गयी है। आवेदित वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	व्यवस्थापन हेतु चयनित वन ग्राम	जिला	वन मंडल	परिक्षेत्र	परिसर	कक्ष क्र.	कुल रकबा (हे.)	व्यवस्थापन हेतु आवश्यक क्षेत्र (हे.)
1	तिलईडबरा	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	सांवतपुर	96 RF	234.718	126.500
2	बिरारपानी	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	भरतपुर	558 RF	150.139	119.389
3	छिरहट्टा	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	भरतपुर	557 RF	145.262	9.411
							योग	**255.300**

कार्यालय प्रमुख सचिव, वन विभाग जावक क्रमांक 3676 दिनांक 25 AUG 2020

बिन्दु क्रमांक –2 प्रपत्र– I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 22) – प्रकरण में परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/REHAB/ 42779/2019** दिनांक 27.01.2020 को आबंटित किया गया है। पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क के तौर पर वन मंडलाधिकारी मुंगेली वन मंडल के पी.डी खाते में पंजीयन शुल्क 6000 रू. तथा प्रसंस्करण शुल्क रू. 87000 कुल 93000 रू. आवेदक द्वारा जमा कराया गया है। संबंधित चालान प्रस्ताव पृष्ठ 11 पर है।

बिन्दु क्रमांक –3 वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 23) – मुंगेली जिले के अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 03 ग्राम क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों के व्यवस्थापन हेतु रकबा 255.300 हे. आरक्षित वन भूमि प्रस्तावित है। व्यवस्थापन हेतु वांछित वन भूमि का ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	व्यवस्थापन हेतु चयनित वन ग्राम	जिला	वन मंडल	परिक्षेत्र	परिसर	कक्ष क्र.	कुल रकबा (हे.)	व्यवस्थापन हेतु आवश्यक क्षेत्र (हे.)
1	तिलईडबरा	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	सांवतपुर	96 RF	234.718	126.500
2	बिरारपानी	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	भरतपुर	558 RF	150.139	119.389
3	छिरहट्टा	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	भरतपुर	557 RF	145.262	9.411
							योग	**255.300 हे. आरक्षित वन भूमि**

बिन्दु क्रमांक –4 गैर वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 24) – प्रस्ताव में लागू नहीं होता।

बिन्दु क्रमांक –5 प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 26 से 27 में दर्शित है) – ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का टोपोशीट क्रमांक 64 एफ/10,64 एफ/ 11, 64 एफ /14 एवं 64 एफ / 15 स्केल 1:50,000 मानचित्रों पर चिन्हित प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। मानचित्र में वन मंडलाधिकारी, मुंगेली वन मंडल एवं उपसंचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया गया है। मानचित्र में तीनों ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा की लोकेशन तथा ग्रामों के विरूद्ध व्यवस्थापन हेतु चयनित वन क्षेत्र स्पष्ट रूप से दर्शित किये गये है।

बिन्दु क्रमांक –6 वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैंप (प्रस्ताव पृष्ठ 29 तक) – व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र को स्केल 1:15000 मानचित्र पर चिन्हित कर संलग्न किया गया है जो वन मंडलाधिकारी मुंगेली एवं उपसंचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित है।

बिन्दु क्रमांक –7 प्रपत्र –4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 30 से 36 तक) – मुंगेली जिले के अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 03 ग्रामों क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों के व्यवस्थापन हेतु मुंगेली वन मंडल अंतर्गत वन भूमि रकबा 255.300 हे. प्रस्तावित है। प्रपत्र 4 में प्रस्ताव संलग्न है। प्रस्ताव अनुसार आवेदित वन क्षेत्र मूल ग्रामों के समीप लिये गये है चूँकि ग्रामीणों में बैगा जनजाति के लोग बड़ी संख्या में है जो अपने मूल क्षेत्र से बहुत दूर नहीं रह सकते। बिन्दु क्रमांक 3 पर 255.300 हे. भूमि के उपयोग का आयटम वाईज विवरण दिया गया है। उक्त ग्रामों के व्यवस्थापन में 133 परिवार (आप्सन–1 में 22 परिवार एवं आप्सन–2 में 111 परिवार) प्रभावित हो रहे हैं। इनमें 128 परिवार अनुसूचित जनजाति के एवं 5 अन्य जाति के परिवार है। वन मंडलाधिकारी मुंगेली ने यह प्रमाण पत्र दिया है कि अन्य दूसरे विकल्पों की परीक्षण करने के बाद आवेदित वन क्षेत्र का रकबा इस कार्य के लिये न्यूनतम है।

बिन्दु क्रमांक –8 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 37 से 55 तक) – संलग्न है। अचानकमार टायगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 914.017 वर्ग कि.मी है जिसमें 626.195 वर्ग कि.मी कोर क्षेत्र है तथा 287.822 वर्ग कि.मी बफर क्षेत्र है। टायगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में वर्तमान में 19 ग्राम स्थित है जिनका व्यवस्थापन चार चरणों में किया जाना टायगर कन्सरवेशन प्लान में शामिल है। इन ग्रामों में ग्रामीण अल्पसुविधायुक्त कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बरसात के मौसम में आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामाना करना पड़ता है। सूचनातंत्र, शिक्षा, हास्पिटल, दैनिक जरूरतो के सामान की उपलब्धता आदि का अभाव है। विस्थापन से एक ओर ग्रामीण समाज की मुख्य धारा में जुड़कर विकास के भागी होंगे वही दूसरी ओर इन ग्रामों के व्यवस्थापन से वन्य प्राणियों के रहवास / चारागाह हेतु वन क्षेत्र रिक्त होगा।

प्रथम चरण में 6 ग्रामों को व्यवस्थापित किया गया है। वन्य प्राणी गणना वर्ष 2014 में डबल्यू आई आई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अचानकमार टायगर रिजर्व में 10–12 बाघ का आंकलन किया गया है। एन.टी.सी.ए के फरवरी 2008 में जारी किये गये विस्थापन संबंधी दिशा निर्देश अनुसार ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा का व्यवस्थापन प्रस्ताव तैयार किया गया है। ग्रामवासियों के व्यवस्थापन हेतु प्रस्ताव अनुसार परियोजना की कुल लागत 13.30 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। ग्रामवार ग्रामीणों की सूची विवरण सहित संलग्न की गई है तथा व्यवस्थापन स्थल पर कराये जाने वाले कार्यो की सूची भी संलग्न की गई है।

बिन्दु क्रमांक –9 वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 56) – यह प्रकरण अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 3 ग्रामों का विस्थापन का है। उपसंचालक अचानकमार टायगर रिजर्व द्वारा वचन पत्र में उल्लेख किया गया है कि चूंकि प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के एवज में उतने ही समान क्षेत्रफल की भूमि टाईगर रिजर्व के अंतर्गत छोड़ी जायेगी, इसलिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रावधान लागू नहीं होगें।

बिन्दु क्रमांक –10 न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 57) – अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 03 ग्रामों क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों के व्यवस्थापन हेतु कुल 255.300 हे. व्यपवर्तन हेतु वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है। इस आशय का प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी मुंगेली एवं उपसंचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित है।

बिन्दु क्रमांक –11 पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 58) – प्रस्ताव में लागू नहीं होता है।

बिन्दु क्रमांक –12 वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र–अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 59 से 62) – 3 ग्रामों के विस्थापन हेतु प्रस्तवित रकबा 255.300 हे. क्षेत्र में 9,862 वृक्ष विद्यमान है जिनका विदोहन किया जाना प्रस्तावित है। गोलाईवार, प्रजातिवार वृक्षों की संख्या तथा आयतन निर्धारित फार्म 1 (a) एवं (b) में संलग्न की गई है।

बिन्दु क्रमांक –13 कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 63) – प्रस्ताव में लागू नहीं होता है।

बिन्दु क्रमांक –14 चयनित गैर वनक्षेत्र /निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 64) – निरंक।

बिन्दु क्रमांक –15 गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 65) – लागू नहीं।

बिन्दु क्रमांक –16 स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 66) – लागू नहीं।

बिन्दु क्रमांक –17 वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 67) – लागू नहीं।

बिन्दु क्रमांक –18 अधिनियम उल्लंघन अंर्तगत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 68) – मुंगेली वन मंडल के लोरमी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 557, 558 एवं सावंतपुर कक्ष कमांक 96 में ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु रकबा प्रस्तावित है। वन मंडलाधिकारी, मुंगेली के प्रमाण पत्र अनुसार अधिनियम उल्लंघन संबंधी कोई कार्य नहीं किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –19 अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एंव कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 69) – लागू नहीं।

बिन्दु क्रमांक –20 अधिकारियों एंव कर्मचारियों के विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 70) –लागू नहीं।

बिन्दु क्रमांक –21 वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 71 से 73) – कलेक्टर जिला मुंगेली के प्रमाण पत्र अनुसार अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम तिलाईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु तहसील लोरमी, जिला मुंगेली अंतर्गत राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –22 कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 74) – लागू नहीं। ।

बिन्दु क्रमांक –23 रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 75) – लागू नहीं। ।

बिन्दु क्रमांक –24 माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 76) – लागू नहीं।

बिन्दु क्रमांक –25 व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 77) – अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम तिलाईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु मुंगेली वन मंडल के लोरमी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 557, 558 एवं सावंतपुर कक्ष क्रमांक 96 के रकबा 255.300 हे. प्रस्तावित है। उक्त ग्रामों के व्यवस्थापन में 133 परिवार (आप्सन–1 में 22 परिवार एवं आप्सन–2 में 111 परिवार) प्रभावित हो रहे हैं। इनमें 128 परिवार अनुसूचित जनजाति के एवं 5 अन्य जाति के परिवार है।

बिन्दु क्रमांक –26 वनाधिकारीयों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 78 से 90) – अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम तिलाईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा को मुंगेली वन मंडल के लोरमी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 557, 558 एवं 96 के रकबा 255.300 हे. क्षेत्र में व्यवस्थापन हेतु आवेदक विभाग उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत मांग का प्रपत्र I संलग्न किया गया है। वन मंडलाधिकारी, मुंगेली वन मंडल ने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 06.06.2020 के आधार पर प्रतिवेदन भाग II में अपनी टीप दी है जिसके अनुसार ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु आवेदित वन भूमि आरक्षित वन का भाग है एवं वन का घनत्व 0.4 है। भौतिक निरीक्षण के आधार पर वन मंडलाधिकारी मुंगेली ने आवेदित क्षेत्र को ग्रामों के व्यवस्थापन कार्य के लिए देने की अनुशंसा की है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर द्वारा अचानकमार टाईकर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्रामों के व्यवस्थापन किये जाने के उपरांत कोर क्षेत्र से मानवीय हस्ताक्षेप से मुक्त होना, घास के मैदान में विस्तार होना, शाकाहारी एवं मांसाहारी वन्यजीवों के संख्या में वृद्धि होने के अनुमान के आधार पर प्रस्ताव पर अनुशंसा दी गई है। वहीं मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं क्षेत्र संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, बिलासपुर द्वारा दिनांक 14.07.2020 को स्थल निरीक्षण किया गया है तथा उन्होंने भी व्यवस्थापन प्रस्ताव पर अनुशंसा दी है।

बिन्दु क्रमांक –27 ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 91) – व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी मुंगेली एवं उपसंचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित है।

बिन्दु क्रमांक –28 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 92 से 105) – ग्राम पंचायत भरतपुर की बैठक दिनांक 22.08.2018 एवं ग्राम सभा सावंतपुर की बैठक दिनांक 29.08.2018 को आमसभा में पारित प्रस्ताव पंजी की छाया प्रति संलग्न किया गया है। अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति लोरमी की बैठक दिनांक 24.09. 2018 को की गई जिसमें पाया गया कि प्रस्तावित वन भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे हेतु वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –29 जिले की कुल वन भुमि (रकबा हे.में) (प्रस्ताव पृष्ठ 106 से 107) – मुंगेली जिले की मुंगेली वन मंडल में सम्मिलित आरक्षित, संरक्षित वन का विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। विवरण अनुसार वन मंडल में 1073.49 वर्ग कि.मी. वन भूमि है।

बिन्दु क्रमांक –30 व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में. (प्रस्ताव पृष्ठ 108) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ राज्य में मुंगेली जिले की मुंगेली वन मंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों की संख्या 01 (सिंचाई विभाग के भरत सागर टेंक) है जिसमें स्वीकृत वन भूमि रकबा 25.00 हे. है।

बिन्दु क्रमांक –31 व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.मे (प्रस्ताव पृष्ठ 110) – निरंक है।

बिन्दु क्रमांक –32 प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 111) – पुर्नव्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलाईडबरा हेतु चयनित वन कक्ष आर. एफ 96 से अचानकमार टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा 200 मीटर तथा कोर क्षेत्र की दूरी 10 कि. मी., बिरारपानी एवं छिरहट्टा वन कक्ष आर. एफ 558 से अचानकमार टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा 2 कि. मी. तथा कोर क्षेत्र की दूरी 12 कि. मी., एवं वन कक्ष आर. एफ 557 से अचानकमार टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा 2 कि.मी. तथा कोर क्षेत्र की दूरी 12 कि. मी., की दूरी पर स्थित है। संपूर्ण 255.300 हे. वन क्षेत्र अचानकमार टायगर रिजर्व की परिधि से बाहर है, परंतु 10 कि.मी के अंदर है।

बिन्दु क्रमांक –33 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेत प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 112) – लागू नहीं ।

बिन्दु क्रमांक –34 वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 113 से 116) – भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.-11-9/1998-FC- दिनांक 03–08–2009 एवं दिनांक 05–02–2013 के अनुक्रम में प्रस्तावित व्यवस्थापन कार्य हेतु कलेक्टर मुंगेली का प्रमाण पत्र कक्ष कमांक 557 एवं 558 के लिये अलग तथा कक्ष क्रमांक 96 के लिये अलग जारी किया गया है जो उपसंचालक अचानकमार टायगर रिजर्व को कलेक्टर जिला मुंगेली के पत्र क्रमांक 3583/भू.अ/अ.भू.अ/2018 दिनांक 05.10.2018 द्वारा प्रेषित है।

बिन्दु क्रमांक 28 पर अवगत कराया जा चुका है कि "ग्राम पंचायत भरतपुर की बैठक दिनांक 22.08.2018 एवं ग्राम सभा सावंतपुर की बैठक दिनांक 29.08.2018 को आमसभा में पारित प्रस्ताव पंजी की छाया प्रति संलग्न किया गया है। अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति लोरमी की बैठक दिनांक 24.09.2018 को की गई जिसमें पाया गया कि प्रस्तावित

वन भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे हेतु वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।''

बिन्दु क्रमांक –35 राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 117) – राजस्व वन भूमि की मांग नहीं की गई है अतः लागू नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –36 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 118) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ /8–34/2017–एफ.सी दिनांक 20.05.2019 के बिन्दु (h) अनुसार एन.पी.व्ही तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से इस प्रकार के प्रकरण में छूट है।

बिन्दु क्रमांक –37 Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 119) – प्रस्ताव में लागू नहीं होता है।

बिन्दु क्रमांक –38 "A detailed note on Soil Productivity or the lack of it" (प्रस्ताव पृष्ठ 120) – प्रस्ताव में लागू नहीं होता है।

बिन्दु क्रमांक –39 परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 121) – आवेदित वन भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है एवं वन विभाग के नियमानुसार स्वीकृति मिलने के पूर्व कोई भी कार्य नही किया जावेगा। इस आशय का आवेदक विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –40 Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 122) – प्रस्ताव में लागू नहीं होता है।

बिन्दु क्रमांक –41 पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 9 से 11) – बिन्दु 2 अनुसार।

बिन्दु क्रमांक –42 वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 123 से 126) – अचानकमार टाईगर रिजर्व के 3 ग्राम क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा को अचानकमार टाईगर रिजर्व से बाहर व्यवस्थापन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक व.प्रा./प्रबंध–56/2020 / 2764 दिनांक 28.07.2020 (संदर्भ–2) द्वारा अनुशंसा की गई है जो प्रस्ताव में पृथक से संलग्न किया गया है। इसके अलावा पृष्ठ 123 से 126 पर वन मंडलाधिकारी मुंगेली द्वारा हस्ताक्षरित 4 पृष्ठीय टीप भी दी गई है।

बिन्दु क्रमांक –43 विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ निरंक) – प्रस्ताव में लागू नहीं होता है।

बिन्दु क्रमांक –44 प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 127 से 308) – टाईगर रिजर्व के प्रतिवेदित 3 ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित वन भूमि व्यपवर्तन परियोजना प्रतिवेदन, प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट मय सी.डी., अचानकमार टाईगर रिजर्व अधिसूचित होने की अधिसूचना तथा व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित परिवारों की सहमति पत्र प्रस्ताव में अतिरिक्त जानकारी के रूप में संलग्न किया गया है।

315

इस प्रस्ताव के बारे में यह अवगत कराया जाना उचित होगा कि अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा, सारसडोल एवं राजक के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव रकबा 839.50 हे. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्राम बिरारपानी एवं छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु चयनित स्थल पी. एफ 1255 एवं 1254 घना होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था तथा ग्राम तिलईडबरा, सारसडोल एवं राजक के व्यवस्थापन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक एफ नं. 8–93 /2013–एफ.सी दिनांक 18.03.2015 तथा पत्र कमांक एफ नं. 8–93 /2013–एफ.सी माह अप्रैल 2015 महत्वपूर्ण है। उक्त स्वीकृति उपरांत ग्राम सारसडोल एवं राजक के ग्रामीणों द्वारा व्यवस्थापन प्रस्ताव में सहमति नहीं होने के कारण तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा का नवीन व्यवस्थापन प्रस्ताव रकबा 255.30 हे. तैयार किया गया है जिस पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 30.11.2017 द्वारा तीनों ग्रामों के 133 परिवारों का व्यवस्थापन हेतु राशि रूपये 1330 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ एवं मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा व्यवस्थापन हेतु की गई अनुशंसा से सहमत होते हुए तथा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में (डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न)
2. संदर्भित पत्रों की छाया प्रति
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–818/ 1550 रायपुर, दिनांक 20/08/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक** (वन्य प्राणी), अरण्य भवन, नवा रायपुर।
2. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. **मुख्य वन संरक्षक** एवं क्षेत्र संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर।
4. **वन मंडलाधिकारी**, मुंगेली वन मंडल, मुंगेली, छत्तीसगढ़।
5. **उप संचालक**, अचानकमार टायगर रिजर्व, लोरमी, जिला मुंगेली।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

316

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 1609 — बिलासपुर, दिनांक 14.07.2020

15/07

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of Forest Land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Relocation of villages from Core Area to Mungeli Forest Division.., area – 255.300 ha.-regarding.**

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/विविध/एल.एम.–115–818/193 दिनांक 27.01.2020

––––00––––

विषयांतर्गत लेख है कि उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी द्वारा अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु कुल क्षेत्र 255.300 हे. मुंगेली वनमण्डल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव निम्नानुसार है : –

TL Process in 2 days. विविध–I

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छत्तीसगढ़, रायपुर

4 प्रतियों में प्रस्ताव प्राप्त किया।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रस्ताव (चेक लिस्ट)

क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.	विवरण
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	1-21	संलग्न है ।
2	प्रपत्र । में प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन कोड (वृत्त कोड / वन मण्डल कोड / शाखा कोड / वर्ष / पंजीयन क्र	22	पंजीयन क्र. FP/CG/REHAB/42779/ 2019
3	वन क्षेत्र विवरण	23	संलग्न है ।
4	गैर वन क्षेत्र विवरण	24	लागू नहीं होता।
5	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल Printed टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर नक्शा।	26-27	संलग्न है ।
6	वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप	29	संलग्न है ।
7	प्रपत्र –4 में प्रस्ताव	30-36	संलग्न है ।
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	37-55	संलग्न है ।
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र।	56	लागू नहीं होता।
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग प्रमाण पत्र	57	संलग्न है ।
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र	58	लागू नहीं होता।
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र 1ए एवं 1बी में)	59-62	संलग्न है ।
13	कास्ट / बेनिफिट एनालिसिस	63	लागू नहीं होता।
14	चयनित गैर वन क्षेत्र (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु) का	64	लागू नहीं होता।

317

	विवरण		
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	65	लागू नहीं होता।
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना(शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर मय 10% वार्षिक वृद्धि के)	66	लागू नहीं होता।
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र	67	लागू नहीं होता।
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण	68	नहीं किया गया है। प्रतिवेदन संलग्न है।
19	अधिनियम उल्लंघन के अधिकारियों का विवरण	69	प्रश्न हीं नहीं उठता।
20	अधिकारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	70	आवश्यकता नहीं है।
21	गैर वन भूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	71-73	लागू नहीं होता।
22	कैचमेंट ट्रीटमेन्ट प्लान	74	लागू नहीं होता।
23	रिक्लेमेशन प्लान	75	लागू नहीं होता।
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल माइनिंग प्रकरण में)	76	लागू नहीं होता।
25	व्यवस्थापन प्लान	77	
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र –III में)	78-90	संलग्न है ।
27	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र	91	संलग्न है ।
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	92-105	संलग्न है ।
29	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में	106-108	
30	व.स.अ. – 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे0 में	109	
31	व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Category की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में ।	110	
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी	111	संलग्न है।
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरण में)	112	लागू नहीं होता।
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र	113-116	संलग्न है।
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र	117	आवश्यकता नहीं है।
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र	118	लागू नहीं होता।
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of	119	लागू नहीं होता।

	funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance.		
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it	120	लागू नहीं होता।
39	परियोजना के किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र	121	संलग्न है।
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 - Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)	122	संबंधित नहीं है।
41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क कर विवरण (प्रपत्र –I में)	—	—
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत	—	—
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण	—	—
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc.) कमियों का विवरण :–	—	—

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृत के अनुशंसा सहित प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न संप्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ.क्र./तक./1610 2020/बिलासपुर, दिनांक 14/07/2020

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व कोनी, बिलासपुर को सूचनार्थ ।
2. उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी जिला मुंगेली (छ.ग.) को सूचनार्थ ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

319

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

नार्थ ब्लाक, सेक्टर 19, अरण्य भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर

ईमेल – cwlwcg@gmail.com Ph. 0771-2512880

क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध–56/2020 /2764 रायपुर दिनांक 28/07/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध/व.सं.अ.)
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर।

28/07

विषय :– Diversion of Forest land for Non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 Proposed for Relocation of Villages from core Area to Mungeli Forest Division Area-255.300 Ha.

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/115–818/1419 दिनांक 17.07.2020

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि अचानकमार टाइगर रिर्जव के कोर क्षेत्र के 3 ग्रामों क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा को बाहर व्यवस्थापित करने हेतु 255.300 हे. वन भूमि की आवश्यकता है कुल प्रस्तावित वन क्षेत्र 255.300 हे. मुंगेली वनमण्डल, जिला वनमण्डल के आरक्षित वन है। जैविक दबाव को कम करने, वन्यप्राणियों हेतु घास क्षेत्र एवं रहवास विकास करने, मांसाहारी एवं शाकाहारी वन्यप्राणियों के स्वच्छंद विचरण हेतु कोर क्षेत्र के वनग्रामों को मानव विहीन करने की दृष्टि से उपरोक्त तीन वन ग्रामों को व्यवस्थापन किया जाना है।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के व्यवस्थापन नीति अनुरूप, टाइगर रिर्जव के कोर क्षेत्र में स्थित ग्रामों को बाहर व्यवस्थापित करने के लिये ग्रामीणों से सहमति लिया गया है, जिसमें ग्रामवासियों ने राष्ट्रीय पुनर्व्यवस्थापन नीति 2007 में दिये प्रावधान अनुसार 22 परिवारों द्वारा विकल्प–1 का चयन एवं 111 परिवारों द्वारा विकल्प–2 का चयन किया गया है। विकल्प–2 के अनुसार व्यवस्थापित होने वाले परिवारों को 2.00 हे. कृषि वन्यभूमि प्रति परिवार 0.05 हे. भूमि मकान एवं बाड़ी हेतु दिया जाना है। उक्त व्यवस्थापन कार्य कराये जाने से वन्यप्राणियों के संवर्धन एवं विकास होगा। अतः व्यवस्थापन हेतु प्रकरण अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर